भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4027

जिसका उत्तर 19.12.2024 को दिया जाना है

एनएच-44 पर बैरिकेड

4027. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सेलम और करूर के बीच एनएच-44 सड़क पर तथा वेलुथमपलायम के निकट कावेरी पुल के पास कितने बैरिकेड और पुलिस चेक पोस्ट हैं।

(ख) यदि हां, तो पुलिस को एनएच पर ऐसे चेक पोस्ट रखने की अनुमति देने वाला कानून या नियम क्या है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पुलिस को बैरियर गार्ड और पुलिस चेक पोस्ट रखने की अनुमति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उक्त बैरियर गार्ड और चेक पोस्ट को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या बैरिकेड उच्च न्यायालय के आदेश के तहत रखे गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एनएचएआई ने आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील क्यों नहीं की?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) पुलिस प्राधिकारियों द्वारा गति नियंत्रण/प्रवर्तन उपायों के रूप में 9 स्थानों पर बैरिकेड (07- ब्लैक स्पॉट स्थान और 02 - जिला सीमाएं), वेलुथमपलायम के पास किमी 276+500 पर कावेरी पुल के दोनों ओर 2 चेकपोस्ट लगाए गए हैं।

(ख) और (ग) कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य पुलिस अधिकारी कानून लागू करने के लिए बैरिकेड्स लगाते हैं। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कोई विशेष अनुमति नहीं दी है।

(घ) सरकार को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐसे किसी आदेश की जानकारी नहीं है।

*****